उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
द्वितीय तल, A & D ब्लाक, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 (उ0प्र0)
टेलीफोन : 0522–2723921, टोल फ्रीः 18001805412
ई–मेलः upbocboardlko@gmail.com

पत्रांक : /भ0नि0बो0–(265 ए(3) टी0सी0)–2020 दिनांक :

आदेश

चूंकि उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–5, के शासनादेश संख्या : 1789/पांच–5–2020 दिनांक 08.09.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम, 2020 की धारा–3 के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को कोविड–19 महामारी से प्रभावित होने की उद्घोषणा की गयी है, उक्त उद्घोषणा दिनांक 30.11.2020 तक या जब तक शासन द्वारा तत्संबंध में अग्रेतर आदेश नहीं दिये जाते हैं, जो भी पहले हो के लिए विधिमान्य रहेगी ;

और चूंकि शासन की अधिसूचना संख्या : 1677/36–2–2020–10(जी)/2017 दिनांक 01.10.2020 द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) (पंचम संशोधन) नियमावली, 2020 अधिसूचित की गयी है, जिसके नियम–276(2) के प्रस्तर–02 में यह प्राविधान किया गया है कि **''यदि राज्य सरकार का सम्यक् रूप से समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई आपदा, जैसा कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–2(घ) में परिभाषित है, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में अथवा उसके किसी भू–भाग में विद्यमान है, तब उस दशा में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निर्गत किये गये किसी ऐसे आदेश के क्रम में बोर्ड का सचिव सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य या उसके किसी भाग में ऐसी समयावधि, जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, के लिये एक आदेश जारी कर सकता है कि आवेदक द्वारा रजिस्ट्रीकरण फीस स्वरूप कोई धनराशि संदेय नहीं होगी।''**

और चूंकि उक्त नियमावली के नियम–279(3) में यह प्राविधान किया गया है कि **''यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसी आपदा, जैसा कि आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–2(घ) में परिभाषित है, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश अथवा उसके किसी भू–भाग में विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये गये किसी आदेश के क्रम में बोर्ड का सचिव, सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश या उसके किसी भाग के लिये राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट आदेश जारी कर सकता है कि लाभार्थी द्वारा कोई धनराशि अंशदान के रूप में संदेय विलम्ब शुल्क या शास्ति के रूप में संदेय नहीं होगी और ऐसी आपदा अवधि की सदस्यता तथा ऐसे लाभार्थी की सुविधाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और अंशदान देयता के दिनांक से ऐसी आपदा अवधि हेतु उसकी सदस्यता अवधि स्वतः विस्तारित हो जायेगी।''**

अतएव उक्त के क्रम में तथा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) (पंचम संशोधन) नियमावली, 2020 के नियम–276 (2) एवं नियम 279 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार यह आदेश जारी किया जाता है कि उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग–5, के शासनादेश संख्या : 1789/पांच–5–2020 दिनांक 08.09.2020 द्वारा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को कोविड–19 महामारी से प्रभावित होने की उद्घोषणा के दृष्टिगत दिनांक 30.11.2020 तक या जब तक शासन द्वारा तत्संबंध में अग्रेतर आदेश नहीं दिये जाते हैं, जो भी पहले हो, तब तक सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में श्रमिक पंजीयन हेतु आवेदक द्वारा रजिस्ट्रीकरण फीस स्वरूप कोई धनराशि संदेय नहीं होगी एवं लाभार्थी द्वारा कोई धनराशि अंशदान के रूप में संदेय विलम्ब शुल्क या शास्ति के रूप में संदेय नहीं होगी और ऐसी आपदा

अवधि की सदस्यता तथा ऐसे लाभार्थी की सुविधाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और अंशदान देयता के दिनांक से ऐसी आपदा अवधि हेतु उसकी सदस्यता अवधि स्वतः विस्तारित हो जायेगी।

यह आदेश आज की तिथि दिनांक 09.10.2020 से तत्काल प्रभाव से लागू होंगें।

(बी0के0 राय)
सचिव, बोर्ड।

पत्रांक : 2369-84 /भ0नि0बो0-(265 ए(3) टी0सी0)-2020 दिनांक : 09/10/2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्रम, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, बोर्ड को सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/जल निगम/जल संस्थान/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पालिका टाउन को शासन की अधिसूचना संख्या : 302/36-2-2010-10/2010 दिनांक 26.03.2010 द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप के क्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा प्राधिकृत पंजीकर्ता अधिकारियों को अपने स्तर से उक्त के संबंध में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. श्रमायुक्त, उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर को सूचनार्थ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित की कृपया उपरोक्तानुसार श्रमिक पंजीयन शुल्क एवं अंशदान हेतु पोर्टल पर तत्क्रम में आवश्यक व्यवस्था कराने का कष्ट करें।
9. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/विकास परिषद/जिला परिषद।
10. राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, लखनऊ, उ0प्र0।
11. विशेष सचिव, श्रम, श्रम अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को शासन की अधिसूचना संख्या : 1677/36-2-2020-10(जी)/2017 दिनांक 01.10.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
12. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त, उ0प्र0 एवं प्रभारी जनपदीय श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने क्षेत्रान्तर्गत जिलों में तैनात सभी प्राधिकृत पंजीकर्ता अधिकारियों को भी उपर्युक्त आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ उक्त आदेश का श्रमिक हित में निःशुल्क व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने का कष्ट करें।
15. श्री प्रभात निगम, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, बोर्ड को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को बोर्ड की वेब-साइट पर तत्काल अपलोड कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
16. गार्ड फाइल।

(बी0के0 राय)
सचिव, बोर्ड।